कार्यालय आयकर निदेशक (छूट),

OFFICE OF THE DIRECTOR OF INCOME TAX (EXEMPTION)

दूसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

2ND Floor, Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad

(Tele & Fax: 26584551)

फा.सं. आनि(छू.)/12एए/520/DFT/2013-14 \ 731 ता: 28.03.2014

पैन/PAN : AABTD7580K

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust. :- **DRISHTI FOUNDATION TRUST**

C/o. Dinesh K Gautam
B-13, Chandar Darshan Society,
Nr. Jay Ambey Nagar,
Thaltej, Ahmedabad.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF DRISHTI FOUNDATION TRUST

द्रष्टी फाउन्डेशन ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान ने दिनांक 01.01.2014 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ निर्माण दिनॉक 28.09.2012 को हुआ है और ट्रस्ट का चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकरण दिनॉक 28.09.2012 का हुआ है। The above named Trust/Institution has filed an application in Form No. 10A on 01.01.2014 Which has been created / constituted on 28.09.2012 and registered with Charity Commissioner / Registrar of Society on 28.09.2012.

तदनुसार,ट्रस्ट/संस्थान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के तहत 01.01.2014 से पंजीकृत किया जाता है. Accordingly, the Trust/Institution has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 01.01.2014 (i.e. F.Y.-2013-14 and A.Y .2014-2015)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।

This Certificate is issued subject to following condition:

न्यास अपरिवर्तनीय होना चाहिए । यद्दपि, कुछ कारणों से न्यास भंगीय है तब सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास को स्थानांतरित की जा सकती है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास ।

आयकर निदेशक (छूट) D.I.T. (EXEMPTION) AHMEDABAD अहमदाबाद

DRISHTI FOUNDATION TRUST Reg.No. E-29073 AHMEDABAD

DRISHTI FOUNDATION TRUST

The trust should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act.

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 28.03.2014 को राजिस्ट्रशन नंबर . DIT (E) Ahd/12AA/DFT/919/2013-14. में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad
Under registration no. **DIT (E) Ahd/12AA/DFT/919/2013-14. Dated 28.03.2014**

Sd/-
(S. K. Gupta)
आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
Director of Income Tax (Exemption), Ahmadabad

प्रतिलिपि :
(1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
(2) अपर आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
(3) उप आयकर निदेशक (छूट), Ahmedabad.
(4) गार्ड फाईल

(Dinesh Gehlot) 28/3/14
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E)
कृते आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद
For Director of Income Tax (Exemption), Ahmedabad